न्यायालय उप खण्ड अधिकारी समदडी जिला बाडमेर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या – 104 / 20

प्रार्थी –

1 मोटाराम पुत्र सावाराम
2 गणेशाराम पुत्र सवाराम
3 झमकू देवी पत्नी सावाराम
4 हिन्दूराम पुत्र नवाराम
5 देरामाराम पुत्र नवाराम के कायम मुकाम
5/1 गोविन्दराम पुत्र देरामाराम
5/2 भीमाराम पुत्र देरामाराम
5/3 नाजीदेवी पुत्री देरामाराम पत्नी हडमानाराम जाति चौधरी निवासी बामसीन
5/4 पुष्पादेवी पुत्री देरामाराम पत्नी शकरराम जाति चौधरी निवासी करमावास
5/5 सीतादेवी पुत्री देरामाराम पत्नी हरीश जाति चौधरी निवासी समदडी
6 बुधाराम पुत्र नवाराम
7 गवरी पत्नी नवाराम सभी जातियान् चौधरी निवासी बामसीन

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1. शेराराम पुत्र जेठाराम
2. लालाराम पुत्र सोनाराम
3. भगाराम पुत्र सोनाराम सभी जाति चौधरी निवासी बामसीन
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम

उपस्थित :– 1. **श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. श्री कैलाश पुरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 ता 3

–: आदेश :– दिनांक :– 22.03.21

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 15 व 16 रकबा 51–06 बीघा व 0–14 बीघा सरहद मौजा बामसीन पटवार मण्डल बामसीन तहसील समदडी मे अवस्थित है। जिसक[illegible] से लगता विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का खातेदारी [illegible] खसरा नम्बर [illegible] रकबा 27–07 बीघा की भूमि आई हुआ है जिसके [illegible] किनारे होते होते पूर्व में रास्ता समर्पित भूमि 1252 रकबा 05–00 बीघा तक जाया जाता है जो आगे गै.मु. लूणी नदी के माठ पर बनी हुई ग्रेवल सडक से होते हुए कटाण मार्ग 670/1 तक जाता है। उक्त रास्ता एक मात्र विकल्प है जो प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:02:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

खातेदारी खेत मे आवगमन हेतु नजदीकी एंव सुलभ रास्ता है प्रार्थीगण ने अपने आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में वरंग लाल से दर्शाया है। प्रार्थीगण कृषि कार्य हेतु इसी रास्ते से होकर सडक मार्ग तक आवगमन करता है इसके अतिरिक्त उसके पास इस हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के खेत मे से प्रचलित उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते मे दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

तहसीलदर समदडी द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/2020/527 दिनांक 30.12.2020 के जरिये मौका रिपोर्ट पेश की गई।

विप्रार्थीगण के नोटिस तामील सुदा प्राप्त । विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से वकील श्री कैलाशपुरी उपस्थित हुये व विप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश कर मौके पर प्रार्थीगण के कथनानुसार रास्ता उपलब्ध न होकर पडौसी खातेदार खेत खसरा संख्या 1251/1 की खातेदारी भूमि के दक्षिणी माठ के किनारे -किनारे जवाब प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "ब" मे वर्णित स्थान वरंग लाल मार्क एक्स से वाई स्थान से होकर मौके पर आवगमन होना बताया गया एवं उसी के अनुरूप रास्ता दिये जाने हेतु कथन किया साथ ही तहसीलदार समदडी के द्वारा पेश मौका फर्द रिपोर्ट पर आपत्ति पेश करते हुये पुनः फर्द मंगाये जाने का निवेदन किया जिस पर आपत्ति को ध्यान में रखते हुये तहसीलदार समदडी से पुनः मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गईं ।

तहसीलदार समदडी द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/2021/77 दिनांक 09.02.2021 के जरिये दिनांक 04.02.2021 को दोनो पक्षो के रूबरू तैयार की गई मौका फर्द पेश की गई।

दिनांक 15.02.2021 को विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर वादग्रस्त खातेदारी के खेत के बदिशा उत्तर मे स्थित में खसरा संख्या 1251/1 के खातेदार को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना [illegible] कर कथन किया कि प्रार्थीगण खेत खसरा संख्या 1251/1 के दक्षिणी [illegible] के किनारे -किनारे नक्शा परिशिष्ट "ब" मे वर्णित वरंग लाल स्थान से आवगमन कर रहे है तथा मार्क एक्स स्थान पर लोहे की फाटक लगी हुई है जिससे खातेदारन चन्द्रशेखर पुत्र केराराम व सुनिल कुमार पुत्र केराराम जाति प्रजापत निवासी जोधपुर को विप्रार्थी संख्या 6 व 7 के तौर पर जोडा जाये जिस पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश न कर कथन किया व मौखिक बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:02:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

के लिये निवेदन किया जिस पर दोनो पक्षकारन के अधिवक्ता को सुना गया पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया पत्रावली पर पेश मौका फर्द दिनाक 04.02.2021 व मौका फर्द के दिनांक 24.12.2020 का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन मौका फर्द से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें विप्रार्थीगण के द्वारा पेश तथ्यो के अनुरूप मौके पर वरंग लाल स्थान पर आवगमन बाबत कोई उल्लेख नहीं है साथ ही मौका फर्द दिनांक 04.02.20021 जो स्वंय विप्रार्थीगण के उपस्थित में भू.अ.निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है उसमें भी मौके पर विकल्पिक रास्ते के तोर पर खेत खसरा संख्या 1250/1 व 1251/1 के खातेदारी के मध्य में से होकर जो रास्ता दर्शाया है उपरोक्त रास्ता लम्बा तथा आवगमन के रूप मे उचित प्रतीत नही होता है जिससे विप्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के अनुरूप खेत खसरा सख्या 1251/1 के खातेदार को पक्षकार बनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से विप्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी अस्वीकार कर खारिज किया गया है । साथ ही दरम्यान विचारण प्रकरण प्रार्थी सख्या 5 के मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान बाबत् प्रार्थना पत्र पेश होने न्यायाहित में उसे स्वीकार कर पत्रावली के रेकर्ड पर लिया गया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251 A पर दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। दौरान बहस प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 15 व 16 रकबा 51–06 बीघा व 0–14 बीघा सरहद मौजा बामसीन पटवार मण्डल बामसीन तहसील समदडी में अवस्थित है। जिसकी पूर्वी सीमा से लगता विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 18 रकबा 27–07 बीघा की भूमि आई हुआ है जिसके उत्तरी माठ के किनारे होते होते पूर्व में रास्ते हेतु समर्पित भूमि 1252 रकबा 05–00 बीघा तक जाया जाता है जो आगे गै.मु.लूणी नदी के माठ पर बनी हुई ग्रेवल सडक से होते हुए कटाण मार्ग 670/1 तक स्थित है। उक्त रास्ता एक मात्र [illegible] खेत मे आवगमन हेतु नजदीकी एव सु[illegible] प्रार्थीगण वकील की बहस मे दी गई [illegible] किया कि वादग्रस्त भूमि मे आवगमन हेतु रास्ता 1251/1 [illegible] दक्षिणी माठ के किनारे–किनारे रास्ता प्रार्थीगण को दिया जावे । जिस पर पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली पर सलग्न दोनो मौका फर्द रिपोर्ट का बाद अवलोकन व मनन के यह ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण द्वारा मांगा गया रास्ता ही एक मात्र नजदीकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:02:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

रास्ता है जबकि विप्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता खसरा संख्या 1251/1 की भूमि मे से होना बताया एव दिनांक 04.02.2021 के मौका फर्द के अनुरूप खसरा सख्या 1251/1 की भूमि मे से जो वैकल्पिक रास्ता बताया है उपरोक्त दोनो रास्ते दूरी मे अधिक होने से उपरोक्त वर्णित स्थान पर रास्ते हेतु भूमि दिया जाने उचित प्रतीत नहीं होता है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा जिस जगह रास्ते हेतु मांग की गई है उपरोक्त जगह ही रास्ते की भूमि हेतु नजदीक एव उचित प्रतीत होता है जिससे होकर प्रार्थीगण अपने खातेदारी के खसरा सख्या 15 मे प्रवेश कर सकते है। प्रार्थीगण के आवेदन पर गभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए प्रार्थीगण द्वारा चाहे गया रास्ता तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका फर्द दिनाक 24.12.2020 के संलग्न नजरी नक्शा मे दर्शाये बरंग हरा विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 18 मे से होकर रास्ता घोषित किया जाना न्यायोचित है।

अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए रा.का.अ.स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खेत सख्या 15 मे आवगमन हेतु बदिशा पूर्वी माठ विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा बामसीन के खसरा नम्बर 18 मे से प्रार्थना पत्र के संलग्न तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका फर्द दिनांक 24.12.2020 के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये बरंग हरा प्रस्तावित रास्ता 13 फीट (2 गट्ठा) चौड़ाई मे रास्ता घोषित किया जाता है।

प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार 13 फीट (2 गट्ठा) चौडाई में 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा। आदेशानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि 13 फीट (2 गट्ठा) में रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना कर तहसीलदार समदडी द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप मे देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित आदेश दिनांक को प्रचालित दर की दो गुणा राशि के बराबर होगी।

प्रार्थीगण को नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार समदडी द्वारा मौके रूप से उक्त रास्ते का सीमाकंन तथा राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जाएगा, अगर प्रभावित पक्षकर उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार समदडी को प्रस्तुत की जाएगी, जिसे तहसीलदार समदडी द्वारा विप्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी। नये 13 फीट (2 गट्ठा) चौडाई के रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:02:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख मे 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी।

पक्षकारन को इस प्रकार दर्ज 13 फीट (2 गट्ठा) चौडे रास्ते के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया 13 फीट (2 गट्ठा) चौडाई मे रास्ता प्रार्थना पत्र के संलग्न मौका फर्द दिनांक 24.12.2020 के संलग्न नजरी नक्शा मे दर्शाये बरंग हरा तक दर्शाये अनुसार रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार समदडी को तहरीर जारी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 22.03.21 लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:02:02 IST
Reason: SelfAttested

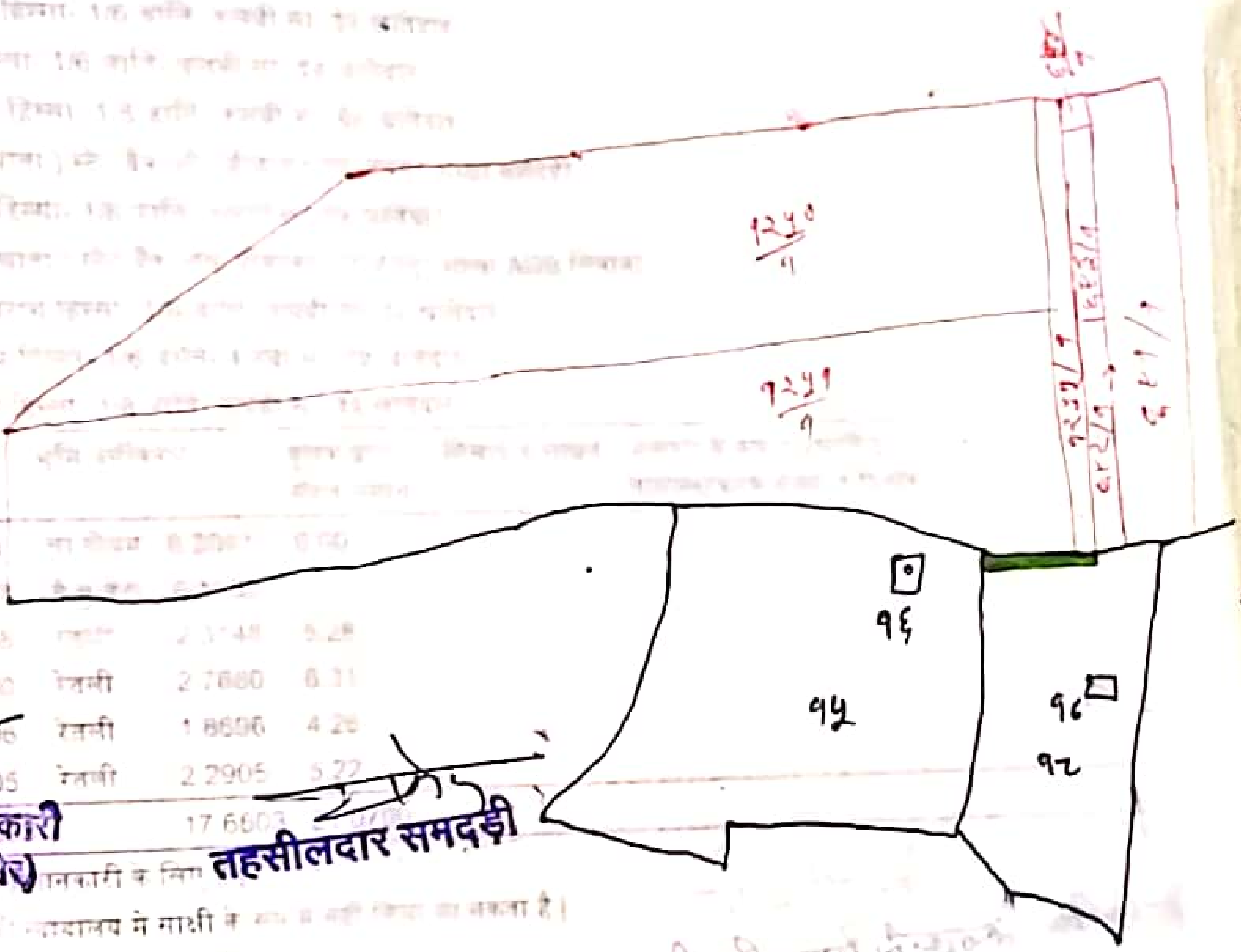

संकेत

→ प्रस्तावित रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
चिंयाना (बाड़मेर)

तहसीलदार समदड़ी

28-Dec-2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:02:02 IST
Reason: SelfAttested